FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई **मुकाम अराई (अजमेर)**

- **कमलो पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती हाल निवासी ग्राम आकोडिया तह0 अराई जिला अजमेर राज0 .**

–प्रार्थी

बनाम

- **गणेश पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य**

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 183 भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 21 / **2025**

ऑनलाइन नंबर **2025** / ....

वकील वादीः– श्री अशोक शर्मा **वकील प्रतिवादीगण........**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.5.25	**यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत** धारा 183 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक** 13.6.25 **को पेश हो।** **उपखण्ड अधिकारी** **अरांई**	
13.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब कुमार कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहने। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार............ दिनांक 8.8.25 को पेश हो।	
8.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगणों की तामिली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। बाबत तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13.8.25 को पेश होवे।	
13.8.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण अनु०। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनु०। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से [illegible] पेश की। वास्ते वकालतनामा व जवाब हेतु दिनांक 20.8.25 को पेश होवे।	UT प्रति० 1 लगायत 3 [illegible] शर्मा एड०

20/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। प्रतिवादीगण लगातार बावजूद तामील अनु०। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार को मौका जांच हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 8/10/25 को पेश हो।

WD

8/10/25
पत्रावली [illegible] पक्षकारण उप.
मौका जांच हेतु
पत्राव[illegible] 10/12/25 को पेश हो
WD
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

10/12/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.
मौका जांच रिपोर्ट हेतु
पत्रावली दिनांक 17/12/25 को पेश हो
WD
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

17/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। तहसीलदार मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली की। पत्रावली दिनांक 13/1/26 को पेश हो।

WD

13/1/26. पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार वादी उप०। पेशकार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा दाखिल दफ्तर हो।

WD

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 21/2025

कमलो पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती हाल निवासी ग्राम आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. **गणेश पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज..**
2. **नन्दा पुत्र गणेश जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज.**
3. **प्रहलाद पुत्र गणेश जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज.**
4. **राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब अराई, जिला अजमेर राज.**

अप्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील वादी श्री अशोक शर्मा **दिनांक** 13/1/26

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी बुजुर्ग कृषक व्यक्ति है जिसके कोई पुत्र नही है मात्र चार पुत्रियां है जिनकी शादी हो चुकी है, जिसकी एक पुत्री मन्दबुद्धी है जो आकोडिया में निवास करती है जिसके साथ प्रार्थी वर्तमान में निवास कर रहा है। प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं. 464 रकबा 0.1456 हैक्टेयर हिस्सा 1/18 व खसरा नं. 746/240 रकबा 0.9708 हैक्टेयर हिस्सा 1/9 तथा खसरा नं. 135,136,404,446,587, 589, 590, 744/240, 755/254, 805/463 कुल किता 10 का कुल रकबा 10.6141 हैक्टेयर में 1/9 हिस्सा ग्राम मुण्डोती में स्थित है तथा प्रार्थी के मकानात भी ग्राम मुण्डोती में स्थित है।प्रार्थी के कोई जायन्दा पुत्र नही होने तथा चारो पुत्रियों का विवाह हो जाने के कारण प्रार्थी ग्राम आकोडिया में अपनी पुत्री के साथ निवास कर रहा है।अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके मकान व कृषि आराजी से जबरन, लाठी के बल पर बेदखल कर दिया है तथा प्रार्थी को उसकी पिछली 5 सालों की पैदावार को नही दे रहे है तथा प्रार्थी के ग्राम मुण्डोती में प्रवेश करने पर ही प्रार्थी से लडाई–झगडा व मारपीट करते है तथा उक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उसके मकान में घुसने से साफ इन्कार कर दिया है तथा प्रार्थी के मकान पर ताले लगा दिये है। प्रार्थी के किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना कारित हो जाती है तो उसके लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जिम्मेदार रहेंगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि व मकान पर अवैध कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया है एंव प्रार्थी की भूमि व मकानात पर अतिचार कर लिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण अतिकमी की हैसियत से प्रार्थी की भूमि पर काबिज हो गऐ है। उक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थी पर हमला करने की नियत से प्रार्थी को घेरकर एलानियां धमकी दी कि तूझे जिन्दा गाड देंगे और यही तुझे दफन कर देंगे, प्रार्थी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मौके से भागा नही तो उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थी को जान से खत्म कर देतें, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण से काफी क्षति हुई है तथा अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों व एलानियों से प्रार्थी को भारी मानसिक व आर्थिक क्षति होगी।अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अतिकमीयों को तलब फरमाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि से उन्हे बेदखल कर दण्डित करावे एंव राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1995 की धारा 183 के अर्न्तगत कार्यवाही कर भूमि का कब्जा पुनः प्रार्थी को जरिये पुलिस इमदाद दिलाया जावे एंव अतिकमीयों के विरूद्ध धारा 183 के अर्न्तगत भी कार्यवाही करावे एंव प्रार्थी को न्याय दिलावे।

वादी का वाद दिनांक 20.5.2025 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीकी तलबी करवाई गयी । दिनांक 13.8.2025 को बावजूद तामिली के प्रतिवादीगण अनुपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने यू0टी0 ली । दिनांक 20.8.2025 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

दिनांक 21.1.2026 को वकील वादी की एकपक्षियी बहस सुनी गई । जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ । जबाव पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती भू. अ.नि.क्षे आकोडिया तहसील अराई जिला अजमेर राज. में खाता सं. 97 के ख.न. 464 कुल किता 01 का रकबा 0.1456 हेक्ट. में वादी कमलो पुत्र हरजी हि. 1/18 खाता सं. 96 के खं.न. 135,136,404,446,587, 589, 590, 744/240, 755/254, 805/463 कुल किता 10 का कुल रकबा 10.6141 हैक्ट. मे वादी कमलो पुत्र हरजी हि. 1/9 जाति जाट सा. खातेदार राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है जो सयुक्त खातेदार है।ग्राम मुण्डोती के ख.न. 805/463 , 414 (गै.मु.चाह.) 404,446 के मौके पर पहुची मौके पर उपस्थित सहखातेदार नाथु पुत्र किशना व सुखपाल पुत्र हुक्मा ने बताया कि वर्तमान उक्त खसरों में प्रार्थी कमलों पुत्र हरजी के हिस्से पर श्रवण पुत्र हरजी का पुत्र गणेश पुत्र श्रवण द्वारा काश्त कर रखी है, जो प्रार्थी का पारिवारिक वारिसान है, जो वादपत्र में प्रतिवादी है।ग्राम मुण्डोती के ख.न. 587,590 व 589 (गै.मु.चाह) की जांच मौके पर पहुची मौके पर उपस्थित पडोसी खातेदार शोभाग पुत्र श्रवण जाट ने बताया कि वर्तमान (आज दिनाक प्रार्थी कमलों पुत्र हरजी के हिस्से पर गणेश पुत्र श्रवण जाट ने काश्त कर रखी है जो प्रार्थी का पारिवारिक वारिसान है जो वादपत्र में प्रतिवादी है। खातेदार पडोसी व गांव में उपस्थित लोगों के बताए अनुसार आज दिनांक प्रार्थी के हिस्से कि जमीन पर गणेश पुत्र श्रवण जाट द्वारा काश्त कर रखी है जो प्रार्थी का पारिवारिक वारिसान हे जो वादपत्र में प्रतिवादी है।

पेरोकार सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है। अतः तहसीलदार अराई को यह आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी ग्राम मुण्डोती के खसरा नं0 464,135, 136,404, 446,587, 589,590, 744/240, 755/254,805/463 व 746/240 पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवेध अतिकमण को हटवाकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये । तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। आदेश की पालना अपील/मियाद अवधि गुजर जाने के बाद की जाए ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई